संघ लोक सेवा आयोग

**नोटिस**

दिनांकः 07.07.2022

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021 के 640 उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम 30 मई, 2022 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उक्तनोटिस में साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड में उपस्थित होने वाले दिल्ली से बाहर के उम्मीदवारों को किसी भी एयरलाइन से'आने तथाजाने' के न्यूनतम विमान यात्राकिराए (प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से) की राशि की प्रतिपूर्तिहेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे।

2. व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के ज्ञापन दिनांक 16 जून 2022 के आधार पर उपरोक्त दिशा निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया गया हैः

क) **साक्षात्कार कार्यक्रम/ ई-समन पत्र डाउनलोड करने के तत्काल बाद ही** इकोनॉमी क्लास की न्यूनतम उपलब्ध किराया राशि की एयर टिकटों की बुकिंग केवल निम्नलिखित प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से ही करानी होगीः

**1. आईआरसीटीसी(भारतीय रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन)**

**2. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड; तथा**

**3. अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स;**

ख) **उम्मीदवारों को, उक्त प्रयोजनार्थ यात्राओं (वापसी की यात्रा सहित, यदि कोई हो तो) हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यात्रा की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले हवाई टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है ताकि सर्वाधिक प्रतियोगी किरायों का लाभ उठाया जा सके और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके।**

**तथापि प्रयोजनार्थ यात्रा से पूर्व, 72 घंटे से कम समय के भीतर बुक की गई किसी भी हवाई टिकट की प्रतिपूर्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तककि इस संदर्भ में उचित कारण नहीं दर्शाये गए हों।**

ग) यदि उम्मीदवार ने ट्रेन से यात्रा की हो तो उस मामले मेंअनुपूरक नियमों के पैरा 132 के अनुसार द्वितीय/स्लीपर श्रेणी के रेल भाड़े (मेल एक्सप्रेस) की प्रतिपूर्ति की जाएगी, भले ही उक्त यात्रा किसी भी श्रेणी से की गई हो।

घ) यात्रा किराए की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु**उम्मीदवारों को** बोर्डिंग पास केवल आगे की यात्रा के लिए (हवाई यात्रा हेतु ) सहित दोनों तरफ की यात्रा की टिकट की हार्ड प्रति/ ट्रेन/एयर टिकट का प्रिंटआउट (दोनों तरफ की यात्रा के लिए) प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही यात्रा भत्ता दावा करने के लिए निर्धारित प्रपत्र दो प्रतियों में **प्रस्तुत करना होगा। (यात्रा भत्ता दावा प्रपत्र संघ लोक सेवा आयोग की बेवसाइट के प्रपत्र एवं डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध होगा)।**

(अमित कुमार)
(AMIT KUMAR)
अनुभाग अधिकारी/Section Officer
संघ लोक सेवा आयोग
Union Public Service Commission
नई दिल्ली/New Delhi

ङ) प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों अर्थात् आईआरसीटीसी, अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स और बामर लॉरी एंड कंपनी के अलावा किसी अन्यमाध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए विमान यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

च) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

3. जिन उम्मीदवारों ने इस नोटिस से पूर्व अपनी टिकट बुक कर ली थीं, उन्हें दिनांक 30 मई, 2022 केनोटिस में निहित पूर्व अनुदेशों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(अमित कुमार)
(AMIT KUMAR)
अनुभाग अधिकारी/Section Officer
संघ लोक सेवा आयोग
Union Public Service Commission
नई दिल्ली/New Delhi